भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3551
उत्तर देने की तारीख 10.08.2026

छात्रों के बीच भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को प्रोत्साहन

3551. श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर मध्य प्रदेश में, विद्यालयी पाठ्यक्रम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के विभिन्न रूपों को शामिल करने के लिए कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य में विद्यालयों के प्रतिभावान छात्रों के लिए कोई छात्रवृत्ति शुरू की है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा पिछले पाँच वर्षों के दौरान विद्यालयी छात्रों के बीच भारतीय शास्त्रीय नृत्य को प्रोत्साहन देने के लिए उपयोग की गई निधि का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप स्कूली शिक्षा में भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के समावेश को बढ़ावा देती है जिसमें कला-एकीकृत, अनुभवात्मक और बहु-विषयक शिक्षा पर बल दिया जाता है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी) सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जिसमें भारतीय शास्त्रीय और लोक-नृत्य परंपराओं को शामिल किया जाता है। मध्य प्रदेश में, इन कार्यक्रमों में कथक, राई,

मटकी, कर्मा और ग्रिडा जैसे नृत्य रूप शामिल हैं। स्थानीय और क्षेत्रीय कला रूपों को बढ़ावा देने के लिए सीसीआरटी का दमोह (मध्य प्रदेश) में एक क्षेत्रीय केंद्र भी है।

इसके अलावा, संगीत नाटक अकादमी स्कूली बच्चों के बीच भारतीय मंच कलाओं को बढ़ावा देने के लिए कला धरोहर श्रृंखला का आयोजन करती है, जिसमें व्याख्यान, कार्यशालाएं और प्रदर्शन शामिल हैं।

(ग) और (घ): सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी) मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 10-14 वर्ष के आयु वर्ग के मेधावी छात्रों और पारंपरिक मंच कलाओं की प्रस्तुति देने वाले परिवारों के बच्चों के लिए सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति स्कीम (सीटीएसएस) संचालित करता है। इस स्कीम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य और अन्य सांस्कृतिक विषयों में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। स्कीम के दिशानिर्देशों के अध्यधीन प्रत्येक छात्रवृत्ति धारक को गुरु/शिक्षक को 9,000 रुपए प्रति वर्ष तक ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के साथ 3,600 रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं। यह छात्रवृत्ति आरंभ में दो वर्षों के लिए दी जाती है और संतोषजनक प्रगति के आधार पर इसका नवीनीकरण किया जाता है।

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र की सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति (सीटीएसएस) स्कीम के तहत, विगत पांच वर्षों के दौरान देश भर में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	**सीटीएसएस स्कीम के तहत देश भर में दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या**
2021-22	225
2022-23	178
2023-24	289
2024-25	269
2025-26	313

इसके अलावा, संस्कृति मंत्रालय विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति (एसवाईए) स्कीम भी कार्यान्वित करता है जिसके तहत 18-25 वर्ष के आयु वर्ग के युवा कलाकारों, जिनमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य में विशेषज्ञता रखने वाले कलाकार भी शामिल हैं, को दो वर्षों की अवधि के लिए उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु 5,000 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(ङ): संस्कृति मंत्रालय सीसीआरटी, संगीत नाटक अकादमी और कलाक्षेत्र फाउंडेशन सहित अपने स्वायत्त संगठनों के माध्यम से स्कूली छात्रों के बीच भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को बढ़ावा देता है। विगत पांच वर्षों के दौरान इन संगठनों को जारी किया गया वर्ष-वार अनुदान इस प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
106.94	114.81	123.62	169.55	150.61

इसके अतिरिक्त, विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति (एसवाईए) स्कीम के तहत विगत पांच वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	**वित्तीय वर्ष**	**जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में)**
1.	2021-22	3.90
2.	2022-23	1.19
3.	2023-24	4.52
4.	2024-25	3.26
5.	2025-26	5.38
